

प्रश्न सं. [क. 702]

परिशिष्ट-3

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-702
माननीय विधायक श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा जी
पूरक जानकारी

—0000—

- (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनीमालवा के ग्राम-कजलास में रेत खदान स्वीकृत नहीं है।
- (ख) विधानसभा क्षेत्र सिवनीमालवा अंतर्गत ग्राम-कजलास, तह0-सिवनीमालवा के खसरा नंबर-103 रकबा 15.000 हेक्टर पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-नर्मदापुरम के आदेश क्रमांक-1723 दिनांक 11/03/2025 से नवीन रेत खदान घोषित कर मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मुख्यालय भोपाल को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
- (ग) विधानसभा क्षेत्र सिवनीमालवा अंतर्गत ग्राम-कजलास से रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में दिनांक 24/06/2026 को सी.एम.हेल्पलाईन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए ग्राम-कजलास से दिनांक 24/06/2026 को अवैध रूप से एकत्रित 03 डम्पर रेत एवं दिनांक 27/06/2026 को 02 डम्पर रेत को जप्त कर अवैध भण्डारण के प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र पर समय-समय पर कार्यवाही करते हुए निम्नानुसार प्रकरण दर्ज किये गये हैं :-

क्र.	प्रकरण का प्रकार एवं क्र.	कार्यवाही का दिनांक	स्थान	विभाग	खनिज का नाम व मात्रा	जमा राशि	कार्यवाही में जप्त वाहन
1	अवैध परिवहन प्र.क्र.196/25-26	23.02.2026	ग्राम-कजलास, तह0-डोलरिया	राजस्व, खनिज एवं पुलिस	रेत, 03घ.मी.	30625/-	ट्रेक्टर ट्राली
2	अवैध परिवहन प्र.क्र.197/25-26	23.02.2026	ग्राम-कजलास, तह0-डोलरिया	राजस्व, खनिज एवं पुलिस	रेत, 03घ.मी.	30625/-	ट्रेक्टर ट्राली
3	अवैध परिवहन प्र.क्र.198/25-26	19.02.2026	ग्राम-कजलास, तह0-डोलरिया	राजस्व एवं खनिज	रेत, 03घ.मी.	30625/-	ट्रेक्टर ट्राली

जिला अधिकारी
जिला-नर्मदापुरम

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग